(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1803–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–2015 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला धार, प्रकरण कमांक 1/2014–15/स्वमेव निगरानी

.....

वासुदेव पिता हिरा
निवासी कुक्षी जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक– आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 20/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी जिला द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 117/अ–2/13–14 में पारित आदेश दिनांक 8–9–2014 से कस्बा कुक्षी स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 342/2 रकबा 0.135 हेक्टेयर के व्यपवर्तन की अनुमति आवेदक को प्रदान की गई । उक्त आदेश में अनियमितता पाते हुये कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर आवेदक पर मुद्रांक शुल्क का अंतर रुपये 3,21,525/–

की दोगुना शास्ति रुपये 6,43,050/– अवधारित कर 15 दिवस में जमा कराने के आदेश दिये गये । साथ ही निर्देश दिये गये कि यदि उक्त राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण शून्य घोषित कर भूमि मूल भूमिस्वामीयों को वापिस की जाये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) कलेक्टर द्वारा स्वयं अनुविभागीय अधेकारी के आदेश को उचित माना गया है ऐसी स्थिति में स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित करने का कोई भी आधार अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है ।

(3) कलेक्टर द्वारा जिस विधान के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की गई है वह उचित नहीं है क्योंकि आवेदक को बिना सूचना दिये यह कार्यवाही की गई है ।

(4) कलेक्टर द्वारा अत्यधिक विलम्ब से यह कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में विस्तार से विवेचना करते हुये संहिता की धारा 165(6–ख) के अन्तर्गत इस शर्त के साथ कायोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है कि मुद्रांक/स्टाम्प अंतर शुल्क की राशि रुपये 2,98,777/– एवं पंजीयन शुल्क अंतर राशि रुपये 22,748/– कुल अंतर की राशि रुपये 3,21,525/– की दो गुणा राशि रुपये 6,43,050/– जमा कराने के आदेश दिये गये अन्यथा भूमि का अन्तरण शून्य होगा,

जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26--11--2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर